



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2320]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 2016/भाद्र 31, 1938

No. 2320]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2016/BHADRA 31, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2016

**का.आ. 3034(अ).**—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुच्छेद 52 के उप-अनुच्छेद (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय में, 23 अप्रैल, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग (II), खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1071(अ) तारीख 23 अप्रैल, 2015 निम्नलिखित संशोधन करने का निदेश देती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में पहले अनुच्छेद के पश्चात् सारणी में, वर्ग (i) “सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश” में निवेश की पद्धति से संबंधित के सामने “निवेश की जाने वाली प्रतिशत राशि” से संबंधित तीसरे स्तंभ में प्रविष्टियों के स्थान पर तारीख 17 मार्च, 2016 से प्रभावी निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“न्यूनतम 45 प्रतिशत तथा 65 प्रतिशत तक ”

[फा. सं. जी. 20031/1/2012-एसएस-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1071(अ) तारीख 23 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2016

**S.O. 3034(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 52 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, the Central Government hereby directs to make the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1071(E) dated the 23<sup>rd</sup> April, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 23<sup>rd</sup> April, 2015, namely:—

In the said notification, after the opening paragraph, in the Table, against Category (i) relating to the investment pattern "Government Securities and Related Investments", for the entries in the third column relating to "Percentage amount to be invested", the following entries shall be substituted with effect from the 17<sup>th</sup> day of March, 2016, namely:—

"Minimum 45 per cent and up to 65 per cent".

[F. No. G-20031/1/2012-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1071(E) dated the 23<sup>rd</sup> April, 2015.